

प्रेस-विज्ञप्तिथाना दीदारगंजदावत खिलाने के लिए साथ ले जाकर हत्या करने से सम्बंधित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 31.12.2020 को श्री निलेश कुमार सिंह निवासी ग्राम सुरहन थाना दिदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 30.12.2020 को मेरे भाई राकेश कुमार सिंह को दावत खिलाने के लिए सलीम पुत्र अकबाल ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ मेरे घर आया तथा शाम 6.00 बजे मेरे भाई को साथ ले गया उसके बाद दिनांक 31.12.2020 को सुबह 8.00 बजे मेरे भाई राकेश कुमार सिंह का शव सुरहन (कोटिया) मार्टिनगंज से दीदारगंज जाने वाली रोड के किनारे मिली। सलीम व अन्य लोगो ने मिलकर मेरे भाई की हत्या की है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-217/2020 धारा 302,201 भादवि बनाम सलीम व अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया। साक्ष्य संकलन व विवेचना से मुकदमा उपरोक्त मे धारा 147,34 भादवि की बढोत्तरी किया गया।

उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित पूर्व में 03 अभियुक्त 1. सलीम पुत्र अकबाल ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ व 2. सोनू सिंह उर्फ धर्मेन्द्र सिंह पुत्र मायाशंकर सिंह सा0 दुबरा थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ 3. अनन्त राय पुत्र प्रभाष राय ग्राम बेलवाना थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा चुका है।

आज दि0 08. 01.2021 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वाञ्छित , ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियुक्त की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन मे प्रभारी उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय , मय हमराह उनि0 सच्चन राम व , हे0का0 बृजेश यादव का0 प्रमोद कुमार यादव का0 सुनील प्रजापति व का0 कन्हैया कुमार के थाना स्थानीय से प्रस्थान कर कुशलगाँव मे देखभाल क्षेत्र में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना पर मार्टिनगंज बाजार बस स्टैन्ड के पास खडे एक व्यक्ति को पकड लिया गया ,पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सत्यम राय पुत्र बिजेन्द्र राय सा0 इस्माइलपुर गोरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष बताया कि जिसको मु0अ0सं0 217/2020 धारा 147/302/201/34 भा0द0वि का बोध कराकर कारण गिरफ्तारी बताकर बजाफता बकायदा समय करीब 05.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 217/20 धारा 147,302,201 ,34 भादवि

गिरफ्तार अभियुक्त:-

सत्यम राय पुत्र बिजेन्द्र राय सा0 इस्माइलपुर गोरिया थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय
2. उनि0 श्री सच्चन राम मय हमराह

थाना- गम्भीरपुर

तमंचा व चोरी के माल के साथ चोर गिरफ्तार

दिनांक 16/17.12.20 को रात 12.00 बजे से 01.00 बजे के बीच श्रीमती सन्ध्या शुक्ला पत्नी मुरलीधर शुक्ल ग्राम उमरीश्री थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़ के घर में रखी आलमीरा से जेवर में झुमका, मंगलसूत्र, अंगुठी एवं 20000 हजार रूपया नगद मोबाइल व सिम नमंबर 9682453237, 8423686840, एवं 6389397473 को अज्ञात चोरो द्वारा चुरा ले जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 03/21 धारा 380 भादवि पंजीकृत हुआ था।

पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह आजमगढ़ द्वारा चलाये जा रहे अभियान वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों के चेकिंग के तहत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन में दिनांक 07.01.2021 को उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह का0 रघुबीर यादव व का0 सुनील कुमार के बिनावर तलाश वांछित अभियुक्तगण एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन के चेकिंग में गोसाई की बाजार नहर पुलिया पर मौजूद थे कि मुखबिर खास नें आकर बताया कि साहब दिनांक 16/17.12.2020 की रात में ग्राम उमरीश्री में घर के अन्दर जो चोरी हुई थी चोरी करने वाले गिरोह के दो व्यक्ति कही जाने की फिराक में चोरी का माल लेकर श्रीरामगंज तिराहे पर वाहन का इन्तजार कर रहे हैं की सूचना पर विश्वास कर अभियुक्तगण 1.दीपक गौड़ पुत्र मातादीन गौड़ ग्राम असाउर टीकर थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़, 2. सत्यम शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा ग्राम असाउरटीकर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व मु0अ0सं0 03/21 धारा 380 भादवि के संबंधित एक अदद मोबाइल सेट व एक अदद सीम मोबाइल नं0 9682453237 व 510 रूपया बरामद करते हुए समय 20.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. दीपक गौड़ पुत्र मातादीन गौड़ ग्राम असाउर टीकर थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़,
2. सत्यम शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा ग्राम असाउरटीकर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व मु0अ0सं0 03/21 धारा 380,411 भादवि के संबंधित एक अदद मोबाइल सेट व एक अदद सीम मोबाइल नं0 9682453237 व 510 रूपया

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 03/21 धारा 380 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 06/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह का0 रघुबीर यादव व का0 सुनील कुमार थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

थाना पवई

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन व थानाध्यक्ष महोदय के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 अरुण कुमार

सिंह मय हमराह के क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिये मुखबीर द्वारा सूचना मिली की मु0अ0सं0 206/20 धारा 363,366 भादवि से संबन्धित अभियुक्त असफाक S/O मो0 अमजद निवासी ग्राम मित्तूपुर भरौटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ जो दिनांक 25.12.20 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित पीडिता प्रियंका (काल्पनिक नाम) को बहला फुसलाकर भगा ले गया था वह पहाड़पुर चुगी पर कहीं जाने की फिराक मे मौजद है जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है इस सूचना पर उ0नि0 अरुण कुमार सिंह मय हमराह मय मुखबीर के साथ खाना होकर पहाड़पुर चुगी तिराहे के पास पहुचे की मुखबीर खास एक खडे व्यक्ति की ओर इसारा करते हुए हट बढ गया उ0नि0 मय हमराह के खडे व्यक्ति के पास पहुचे तो पुलिस को देखकर भागने की कोशि श किया की हमराह के मदद से पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति से उसका नाम पता पूछा गया तो पकडे गये व्यक्ति ने अपना नाम असफाक पुत्र मो0 अमजद अली निवासी मित्तूपुर भरौटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़ बताया। अभियुक्त उपरोक्त को मु0अ0सं0 206/20 धारा 363,366 भादवि से अवगत कराते हुए समय करीब 07.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स. 206/20 धारा 363,366 भादवि थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. असफाक पुत्र मो0 अमजद अली निवासी मित्तूपुर भरौटिया थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. उ0नि0 अरुण कुमार सिंह
2. का0 अविनाश प्रसाद

थाना-रौनापार

एक नफर वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के दिशा निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व थानाध्यक्ष रौनापार के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 रामजीत मय हमराह कर्म0गण के चलाये गये अभियान के तहत तलाश वांछित/वारंटी अपराधी में एक नफर वारण्टी अभियुक्त (1) रामनवल पुत्र बेचू सा0 शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को वारण्टी के घर ग्राम शाहडीह से दिनांक 08.01.2021 को समय 11.05 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त-

(1) रामनवल पुत्र बेचू सा0 शाहडीह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 52 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री रामजीत थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 राममिलन यादव थाना रौनापार आजमगढ़
3. हे0का0 दीपक कुमार थाना रौनापार आजमगढ़